

प्रार्थी भोला सिंह पुत्र अलवेल सिंह जाति  
जटसिख निवासी 10 एन.पी तहसील  
रायसिंहनगर ने एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व  
आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र,  
मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि  
उसके द्वारा दिनांक 24.03.2021 को एक बंद  
वसीयत(शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में  
रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले  
वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थी को गवाह श्री परमीत सिंह पुत्र  
बोहड सिंह एवं हरजोत सिंह पुत्र कलवन्त  
सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की  
शिनाख्त श्री विनोद कुमार भाटी अधिवक्ता,  
श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की  
धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को  
वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार  
फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया  
जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

15/6/21  
k